कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय--आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् याचिकार्थिया अनुबाला व्याख्याता, जीव विज्ञान राबाउमावि. गुरूद्वारा रानी बाजार, बीकानेर का स्थानांतरण राउमावि गुंगा, बाड़मेर किया गया । अनुबाला द्वारा इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 14717/2019 अनुबाला बनाम राज्य सरकार दायर की गई।

याचिका संख्या 14717/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.19 द्वारा याचिकार्थिया अनुबाला को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। याचिकार्थीया के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.092019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थीया के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थिया अनुबाला द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के विधवा महिला एवं सास सुसर का देहान्त हो जाने तथा अपनी 01 पुत्री जो कक्षा–12 में महारानी किशोरी देवी विद्यालय में अध्ययनरत होने के आधार पर अपना पदस्थापन राबाउमावि. गुरूद्वारा रानी बाजार, बीकानेर में यथावत रखने की परिवेदना प्रस्तुत की गई। याचिकार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं।

उक्तानुसार याचिकार्थिया अनुबाला व्याख्याता, जीव विज्ञान के स्थान पर अन्य व्यक्ति का प्रदस्थापन हो जाने एवं उनके द्वारा कार्यग्रहण कर लेने के कारण पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में इनका समायोजन राष्ट्रीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान(IASE), बीकानेर में व्याख्याता समकक्ष के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन/परिवेदना का निस्तारण किया जाता है। अनुबाला को निर्देशित किया जाता है कि ये तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने समायोजित स्थान पर व्याख्याता समकक्ष के रिक्त पद पर दिनांक 17.10.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/अभ्यावेदन/अनुबाला /को.के/18–19/10 दिनांकः–15/10/2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बीकानेर।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. प्राधानाचार्य राबाउमावि., गुरूद्वारा, रानी बाजार, बीकानेर/राष्ट्रीय उच्च अध्ययन संस्थान, बीकानेर।
9. अनुबाला, व्याख्याता, जीव विज्ञान राबाउमावि., गुरूद्वारा, रानी बाजार, बीकानेर।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

83# 002 order_ aug19 c-1(4) cbh